मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 03-12-2021

क्रमांक 03 /1412/2020/सत्रह/मेडि-1 :: श्री रमेशचंद्र कुशवाह, दन्त सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नया हरसूद, जिला खण्डवा, दिनांक 15.01.2013 से 31.07.2019 तक 06 वर्ष 06 माह एवं 15 दिवस कुल 2387 दिवस अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित थे। उपरोक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि 05 वर्ष से अधिक होने के कारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा उक्त प्रकरण के निराकरण हेतु शासन स्तर से समुचित निर्णय लिये जाने हेतु विभाग को प्रेषित किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा विभाग में दिनांक 28.06.2021 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि श्री कुशवाह की दिनांक 26.04.2021 को मृत्यु हो गयी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न भेजा गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि मृतक शासकीय सेवक स्व. श्री रमेशचंद्र कुशवाह के अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के प्रकरण का निराकरण न होने से पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी प्रकरण जिला कोषालय में लंबित है।

2- सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-6-1/2009/03/1, दिनांक 20.05.2009 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहते शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर ऐसे मामले में लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य शासन एतद्द्वारा स्व. श्री रमेशचंद्र कुशवाह, तत्कालीन दन्त सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नया हरसूद, जिला खण्डवा की उल्लेखित अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को " **No work- No pay** " (कार्य नहीं-वेतन नहीं) के सिद्धांत के आधार पर अवैतनिक करते हुए प्रकरण यथास्थिति समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्र0 04 /1412/2020/सत्रह/मेडि-1 भोपाल दिनांक 03/12/2021

प्रतिलिपिः-

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।
4- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

.....2.....

5— संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर आदेश की उक्त प्रति विभाग की वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

6— क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर।

7— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा (म.प्र.)।

8— जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा, म.प्र.।

9— श्रीमती प्रेमबाई कुशवाह, पत्नि स्व. श्री रमेशचंद्र कुशवाह, ग्राम जसवाड़ी तहसील व जिला खण्डवा।

10— आर्डर फोल्डर / स्थापना लिपिक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग